"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 649] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2026 — कार्तिक 6, शक 1948

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-5/15/2026-LABOUR.— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का सं. 29) की धारा 67 की उप–धारा (1) के अधीन आपेक्षित मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम 2026 का प्रारूप छत्तीसगढ़ के राजपत्र असाधारण क्रमांक 183 में दिनांक 13 अप्रैल 2026 द्वारा उन सभी व्यक्तियों जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना, से उस दिनांक जिससे उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी गयी थी, से 45 दिन की अवधि के समाप्ति से पहले आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 13 अप्रैल 2026 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में व्यक्तियों और हितधारकों से प्राप्त सुझाव और आपत्तियों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः निम्नलिखित के प्रतिस्थापन में –

1. न्यूनतम वेतन (छत्तीसगढ़) नियम, 1958; एवं
2. छत्तीसगढ़ वेतन भुगतान नियम, 1962

उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, और मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का सं. 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम
अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.– (1) ये नियम, मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा 45 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी;

(ग) "अपील" से अभिप्रेत है, धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील;

(घ) "मण्डल" से अभिप्रेत है, धारा 42 की उप–धारा (4) के अधीन राज्य शासन द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य सलाहकार मंडल;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मण्डल का अध्यक्ष;

(च) "संहिता" से अभिप्रेत है, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का सं. 29);

(छ) "समिति" से अभिप्रेत है, धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त समिति;

(ज) "दिन" से अभिप्रेत है, मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि;

(झ) ''इलेक्ट्रानिक रूप से'' अभिप्रेत है, संहिता के प्रयोजनों के लिए, ईमेल द्वारा प्रस्तुत की गई, या निर्दिष्ट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाईट पर रखी गई या प्रदर्शित की गई, या किसी भी माध्यम से किया गया डिजिटल भुगतान संबंधी जानकारी।

(ञ) "परिवार" में सम्मिलित है, एक कर्मचारी/श्रमिक के निम्नलिखित सभी या कोई भी रिश्तेदार, अर्थात्:–

(1) पति/पत्नी;

(2) अवयस्क संतान (जिसमें दत्तक संतान शामिल है), जो कर्मचारी पर आश्रित हो;

(3) संतान, जो कर्मचारी/श्रमिक की आय पर पूर्णतः निर्भर हो, और जो :–

(एक) पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने तक या उसकी इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक; एवं

(दो) अविवाहित पुत्री;

(4) कोई संतान, जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकृति अथवा चोट के कारण अशक्त हो, और जो कर्मचारी की आय पर पूरी तरह आश्रित हो, जब तक कि उसकी अशक्तता बनी रहती है;

(5) आश्रित माता–पिता (जिसमें सास–ससुर शामिल है):

परन्तु यह कि किसी अन्य व्यक्ति के कर्मचारी/श्रमिक पर आजीविका के लिए आश्रित होने की दशा में, निर्भरता को साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ट) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(ठ) ''शासन'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ड) ''भौगोलिक क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर ऐसे अधिसूचित क्षेत्र;

(ढ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत है, वह व्यवसाय, जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा भी होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करें;

(ण) ''निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता" से अभिप्रेत है, धारा 51 की उप–धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना द्वारा, राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति;

(त) "सदस्य" से अभिप्रेत है, मण्डल का सदस्य और जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(थ) ''मजदूरी की सामान्य दर'' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 02 (म) के अधीन यथा – परिभाषित मजदूरी;

(द) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत है, वह जनसंख्या, जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है, जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किये गये है;

(ध) ''पंजीकृत व्यवसाय संघ" से अभिप्रेत है, वह व्यवसाय संघ, जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत पंजीकृत है;

(न) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(प) "धारा" से अभिप्रेत है, इस संहिता की धारा;

(फ) "**अर्द्धकुशल व्यवसाय**" से अभिप्रेत है वह व्यवसाय, जिसके कार्यान्वयन में कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में प्रयोग किया जा सकता है और उसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(ब) "**कुशल व्यवसाय**" से अभिप्रेत है, वह व्यवसाय, जिसके कार्यान्वयन में कार्य – अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल और दक्षता अन्तर्वलित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(भ) "**अकुशल व्यवसाय**" से अभिप्रेत है, वह व्यवसाय, जिसके कार्यान्वयन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का सं. 29) में उनके लिए समनुदेशित है।

अध्याय – दो
न्यूनतम मजदूरी

3. **मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति**.– (1) संहिता की धारा 6 की उप–धारा (5) के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित की जायेगी, जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश के निर्दिष्ट मापदण्डों के अधीन होगा।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महिने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजर अंदाज किया जाएगा।

यदि कार्य सप्ताह छः दिनों से कम का हो तो इस प्रकार गणना की गई न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग एक दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी निकालने के लिए किया जाएगा।

(3) वस्तु के रूप में भुगतान की गई मजदूरी के नकद मूल्य की गणना में भौगोलिक क्षेत्र में निकटतम बाजार के खुदरा मूल्य को ध्यान रखा जाएगा। यह गणना राज्य शासन और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4. **परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल**.– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर किया जाएगा।

5. **एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या.**—(1) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार पर है, सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा और विश्राम का अंतराल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताए अनुसार होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार के अतिरिक्त है, सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रति सप्ताह कार्य के कुल घंटे अड़तालीस घंटे से अधिक न हों।

6. **साप्ताहिक विश्राम दिवस.**— (1) इस नियम के प्रावधानों के अध्याधीन, यथास्थिति, कर्मचारी या श्रमिक को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक दिन से अधिक के आराम की अनुमति दी जाएगी। छः दिन सप्ताह के मामले में, विश्राम दिवस आमतौर पर रविवार हो सकता है, और छः दिन से कम सप्ताह के मामले में, इसमें शनिवार और रविवार शामिल होंगे, तथापि नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकता हैः

परन्तु छः कार्य दिवस सप्ताह या छः से कम कार्य दिवस सप्ताह में, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए सप्ताह के शेष दिवस वैतनिक अवकाश दिवस होंगेः

परन्तु इसके अलावा कर्मचारी या श्रमिक इस उप–नियम के तहत विश्राम दिवस का हकदार होगा, यदि यथास्थिति, उसने एक ही नियोक्ता के अधीन छः दिन के कार्य सप्ताह में लगातार अवधि में छः दिन अथवा छः दिन से कम कार्य के सप्ताह के मामले में निर्धारित संख्या के कार्य दिवसों को निरंतर अवधि के लिए कार्य किया होः

परन्तु इसके अलावा भी कि कर्मचारी या श्रमिक को, विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिन में परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी होने के पहले इस संबंध में सूचना रोजगार स्थल के विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उप–नियम के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सप्ताह में छह दिनों की निरंतर अवधि या निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए निम्न वे दिन माने जायेंगे, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया थाः—

(अ) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी या श्रमिक को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है,

(ब) कोई भी ऐसा दिन जिसमें, किसी कर्मचारी या श्रमिक को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का सं. 35) के अधीन मुआवजे के भुगतान पर ले–ऑफ किया गया हो, और

(स) विश्राम दिन के तुरन्त पहले छः दिन की अवधि या सप्ताह के निर्धारित कार्य दिवस में, जैसा भी हो, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन सहित या वेतनरहित छुट्टी या अवकाश दी जाती है।

(2) किसी भी कर्मचारी या श्रमिक से विश्राम के दिन कार्य करना अपेक्षित नहीं किया जायेगा या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसे विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में सप्ताह के, कार्य दिवसों में से किसी पूरे एक दिन का वैकल्पिक विश्राम दिवस प्राप्त न हुआ हो या प्राप्त न होना हो:

परन्तु कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी या श्रमिक को एक पूरे दिन के विश्राम दिवस के बिना, लगातार दस दिन से अधिक कार्य करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहाँ कोई भी कर्मचारी या श्रमिक विश्राम के दिन कार्य करता है, और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद के कार्य दिवसों में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, कार्य के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा, जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) एक कर्मचारी या श्रमिक को विश्राम दिवस की मजदूरी, अगले दिन से पहले की गई गणना दर पर की जाएगी; और जहाँ वह विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे उस विश्राम के दिन का भुगतान किया जाएगा, जिस दिन उसने कार्य किया था तथा अधिसमय दर एवं प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिये मजदूरी दर पूर्ववर्ती दिनों के दर पर होगी:

परंतु यह कि 6 दिन के सप्ताह के मामले में जहाँ–

(एक) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी या श्रमिक की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई हो; अथवा

(दो) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और मजदूरी की ऐसी वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं है, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(तीन) यदि कर्मचारी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे वैकल्पिक विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे केवल उसी विश्राम दिवस के लिए जिस दिन उसने काम किया है, ओवरटाईम दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जायेगा, यह राशि मजदूरी की सामान्य दर के दोगुने से कम नहीं होगी।

और, यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात् उसका निराकरण करेंगे:

परंतु यह और कि यदि कोई कर्मचारी या श्रमिक, मात्रानुपाती (इकाई) दर प्रणाली से संचालित होता है, तब उसे विश्राम दिवस जिसमें वह कार्य करता है, ओवरटाईम की दर से और वैकल्पिक विश्राम दिवस हेतु उसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जायेगा जो तत्काल पूर्ववर्ती दिन को लागू हो।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम में 'तत्काल पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत है वह अंतिम दिन, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब तत्काल पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत होगा वह अंतिम दिन, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान, किसी कर्मचारी या श्रमिक को किसी अन्य कानून या किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा की शर्तों के अधीन मिलने वाली किसी भी अधिक अनुकुल शर्तों पर यदि कोई है तो प्रतिकुल प्रभाव नहीं डालेंगे और ऐसे मामले में कर्मचारी या श्रमिक मात्र पूर्वोक्त अधिक अनुकुल शर्तों के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत है शनिवार रात्रि की अर्द्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि।

7. **रात्रि पाली**.– जहाँ पर कर्मचारी या श्रमिक नियोजन में पाली में कार्य करता है जो अर्द्ध रात्रि के बाद तक जारी रहती है, तब–

(क) नियम 6 के प्रयोजनों के लिए पूरे दिन के लिए एक आराम दिन, से अभिप्रेत है, चौबीस निरंतर घंटे की अवधि जो उसकी पारी समाप्त होने से प्रारंभ होता है और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिन, ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्द्ध रात्रि के बाद के घंटों की गणना, जिसमें ऐसे कर्मचारी या श्रमिक ने कार्य किया है, पूर्व दिवस में की जावेगी।

8. **कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कार्य समय और कार्य अवधि के विस्तार की सीमा एवं शर्तें** .– धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी या श्रमिक के मामले में :–

(क) आपात स्थिति में कार्यरत है, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं जा सकता था;

(ख) प्रारंभिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार मूलतः अनियंत्रित है;

(घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और

(ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी–कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

कार्य घंटों की संख्या जो एक या एक से अधिक निर्दिष्ट अंतराल सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी और कर्मचारी के कार्य घंटों का प्रसार नियम 6 के तहत समय–समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट घंटों की संख्या से अधिक हो सकता है।

9. **लम्बी मजदूरी अवधि**.– धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय–तीन
मजदूरी का भुगतान

10. **संविदात्मक कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान**.– जहाँ कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, वहाँ, वह कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को उसके द्वारा देय राशि का भुगतान वेतन के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के उपबंधो के अनुसार किया जा सके।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

11. **सामान्य कार्य–दिवस से कम के लिए मजदूरी का भुगतान.**– कर्मचारी, धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिये मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

12. **कटौतियों की वसूली.**– धारा 18 की उप–धारा (4) के अनुसार, जहाँ धारा 18 की उप–धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी, जिससे किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

13. **कृत्यों और चूकों के लिए जुर्माना अधिरोपित करने के लिए अनुमोदन प्राधिकारी.**– सहायक श्रम आयुक्त या श्रम पदाधिकारी, जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, धारा 19 की उप–धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

14. **कृत्यों और चूकों को निर्धारित करने वाले सूचना प्रदर्शित करने की पद्धति.**– धारा 19 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में उस कार्य स्थान के परिसर में, जिसमें रोजगार किया जाता है, सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय–वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को भेजी जाएगी।

15. **जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया** – (1) धारा 19 की उप–धारा (3) के अनुसार, नियम 13 में उल्लिखित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को, नियोक्ता, जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, विस्तृत विवरणों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित रूप में देगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा किये गये कृत्यों और चूकों का विवरण निर्दिष्ट होगा, जो जुर्माना अधिरोपित किये जाने का औचित्य सिद्ध करते है और कारण दर्षानें के लिए 15 दिनों के भीतर का अवसर दिया जायेगा।

(2) दोषी कर्मचारी पर जुर्माना स्थापित आरोपों के लिए अधिरोपित किया जायेगा।

(3) जहां निर्धारित अवधि के भीतर कर्मचारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहां जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा, और ऐसे जुर्माना अधिरोपण की दिनांक से 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जायेगी।

16. **कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती की सूचना.**– (1) जब कोई नियोक्ता, धारा 20 की उप–धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में, कोई कटौती करने का आशय रखता है, तब वह संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में ऐसी कटौती

करने के अपने आशय के संबंध में सूचित करेगा और सात दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने का अवसर देगा, और आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उप–धारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

(2) यदि संबंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जायेगी।

17. **क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया**.–यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप–धारा (1) के प्रावधान अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिये कटौती करना चाहता है, तो वह –

(एक) कर्मचारी को उसकी निगरानी के लिये उसे सौंपे गये समान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिये जिसके लिये वह उत्तरदायी है तथा किसी प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिये प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है, के मूल्य के बारे में लिखित में कर्मचारी को विस्तारपूर्वक सूचित करेगा, और

(दो) कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा तत्पश्चात् किसी नुकसान अथवा हानि के लिये यदि कोई कटौती की जाती है, तो ऐसी कटौती करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

18. **अग्रिम की वसूली के संबंध में शर्तें**.– वसूली –

(एक) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा

(दो) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम, जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है,

जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में नियम 12 में निर्दिष्ट सीमा के अधीन, वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्ररूप–चार में रखे गए पंजी में दर्ज किया जाएगा।

19. **ऋण के वसूली के लिए कटौती.**—संहिता की धारा 24 के अनुसार भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर का विनियमन, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिए गये विद्यमान निर्देश अथवा जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन होंगी।

अध्याय–चार
राज्य सलाहकार मंडल

20. **मंडल का गठन.**— मंडल का गठन धारा 42 की उप–धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जो राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

21. **मंडल की बैठक.**— अध्यक्ष, नियम 23 के प्रावधान के अध्यधीन, किसी भी समय, जैसा कि वह उचित समझे, मण्डल की बैठक बुला सकता है, जब तक स्पष्टतः संहिता के प्रावधानों के विपरीत न हो, बैठक के लिए कम से कम आधे सदस्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर, अध्यक्ष, इस तरह के अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैठक आहूत करने के लिए बाध्य होगा।

22. **बैठक की सूचना.**— अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ उल्लेखित सूचना ऐसे बैठक के निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगाः

परंतु आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 07 दिन की सूचना दिया जा सकता है।

23. **अध्यक्ष के कार्य.**— अध्यक्ष

(एक) मंडल की बैठको की अध्यक्षता करेंगेः

परंतु, किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतो के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

(दो) मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(तीन) जहाँ मंडल की बैठक में किसी मुद्दे का निर्णय मतदान द्वारा करना हो, वहॉ मतदान आयोजित कराऐंगे और बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेंगे या कराने का प्रबंध करेंगे।

(चार) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

24. **बैठक के लिए गणपूर्ति**.– जब तक स्पष्टतः संहिता में इसके विपरीत उपबंधित न हो– किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक तिहाई सदस्य और नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से कम से कम एक प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित न हों:

परंतु यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित है तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम 07 दिन के लिये स्थगित कर सकते है तथा ऐसे स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो:

परंतु ऐसे स्थगित बैठक की तारीख समय, स्थान एवं कार्यसूची (एजेंडा) सहित सूचना, मंडल के सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जावेगा।

25. **मंडल के कार्य का निपटान**.– मंडल के सभी कार्यो का मंडल की बैठक में विचार किया जायेगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वाले बहुमत के द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा:

परंतु, अध्यक्ष, यदि उचित समझे, तो निर्देश दे सकते है कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा।

इसके अलावा कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जब तक कि न्यूनतम दो–तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करे।

26. **मतदान का तरीका**.– मंडल में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते है, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा, अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित रीति से कराया जाएगा।

27. **गवाहों को आहूत करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण**.– (1) अध्यक्ष अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश होने के लिए और किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने पर बुला सकते हैं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है और मंडल के सामने, जब वह गवाह के रूप में पेश होता है, उसके द्वारा किये व्यय के लिए, सिविल न्यायालय में पेश होने वाले

गवाहों को इस तरह के भत्ते के भुगतान के लिए लागू मापदंड अनुरूप भत्ते की पात्रता होगी।

28. **बैठक की कार्यवाही**.—(1) मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से 7 दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

(2) मंडल की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

29. **बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल**.— जब तक स्पष्टतः संहिता या नियमों में इसके विपरीत उपबंधित न हो—

(1) अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा, जो धारा 42 की उप–धारा (4) के अधीन नियुक्ति या नामांकन की तिथि से प्रारंभ होगाः

परंतु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन जैसा भी मामला हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) राज्य शासन के पास एक आकस्मिक रिक्ति को भरने की शक्ति होगी, और इस प्रकार नामांकित सदस्य, उस सदस्य के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नामांकित है, या जब तक नियमित पदाधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक, जो भी पहले हो।

(3) मंडल के अधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य अधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप–नियम (1), (2), एवं (3) में शामिल किसी बात के होते हुए भी मंडल के सदस्य राज्य शासन की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।

30. **यात्रा भत्ता**.— अध्यक्ष तथा मंडल के प्रत्येक सदस्य, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के लिये, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये लागू दरों तथा शर्तों के अधीन यात्रा एवं ठहराव भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

31. **अधिकारी एवं स्टॉफ.**– राज्य शासन मंडल के कार्य संचालन के लिये आवश्यक समझे जाने पर, एक सचिव जो छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त पद से नीचे का न हो तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मंडल को उपलब्ध करा सकती है।

32. **मंडल के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता.**– एक निवृत्तमान सदस्य मंडल के सदस्यों के लिये पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल के लिये सदस्य रह सकता है।

33. **मंडल के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र.**– (1) अध्यक्ष के अलावा मंडल का सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में सूचना देकर, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य शासन को संबोधित एक पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।

(2) त्यागपत्र स्वीकृति की सूचना के तारीख से अथवा नोटिस भेजने की तारीख से, जो भी पहले हो, 30 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) जब मंडल की सदस्यता में कोई रिक्ति उद्भूत होती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष, तुरंत राज्य शासन को एक रिपोर्ट सौंपेंगे और राज्य शासन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति को भरने हेतु उपाय करेगी।

34. **सदस्यता का समाप्त होना.**– यदि मंडल का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है तो वह मंडल का सदस्य नही रहेगा।

35. **अयोग्यता.**– (1) एक व्यक्ति, मंडल का सदस्य रहने और नामांकित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा –

(एक) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित का घोषित किया गया हो; या

(दो) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(तीन) यदि संहिता लागू होने से पहले या बाद में, उसे नैतिक अधमता के दांडिक अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया है।

(2) यदि उप–नियम (1) के तहत् अयोग्य ठहराये जाने के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय–पाँच
बकाया का भुगतान, दावे इत्यादि

36. **कर्मचारी की मृत्यु होने पर निर्देशिती को असंवितरित देय राशि का भुगतान.**– (1) (क) धारा 44 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में, प्रत्येक कर्मचारी प्ररूप–सात

में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा, जिसमें वह किसी व्यक्ति को नामित करेगा, जिसे उसकी मृत्यु की स्थिति में वह राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उसके खाते में जमा है, चाहे वह राशि अभी देय न हुई हो, या फिर देय हो गई हो लेकिन उसका भुगतान अभी तक न किया गया हो।

(ख) यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार है, तो नामांकन उसके पति/पत्नी के पक्ष में अथवा उसके बाद उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगाः

परंतु यह कि किसी कर्मचारी द्वारा, जिसका अपना परिवार है, अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन अवैध होगाः

परंतु यह और प्रावधान है कि कर्मचारी द्वारा अपने विवाह के पश्चात् अपने जीवनसाथी के लिए नया नामांकन किया जाएगा तथा ऐसे विवाह से पूर्व किया गया कोई भी नामांकन अवैध माना जाएगा।

(ग) जहाँ नामांकन पूर्णतः या अंशतः अवयस्क के पक्ष में है, वहाँ कर्मचारी अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को अवयस्क नामिती का संरक्षक नियुक्त कर सकता है, अथवा जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, वहां वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिती का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्यों को नामित करता है, तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार अपने प्रत्येक नामिती को देय राशि या अंश निर्दिष्ट करेगा, ताकि उसके खाते में जमा पूरी राशि को कवर किया जा सके।

(2) जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नही पता होने के कारण उसको देना बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिती को यह राशि भुगतान नही की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पास जमा की जावेगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

37. **कर्मचारी की मृत्यु होने पर असंवितरित बकाया जमा करना.**– (1) जहां धारा 44 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छः माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छः माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से 15 दिन की समाप्ति के पहले उस क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पास जमा की जाऐगी।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

38. **असंवितरित जमा राशि के निपटान की रीति.**– (1) नियम 37 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट राशि (जिसे इस नियम में आगे राशि कहा गया है) क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा की जाएगी और उसके पास ही रहेगी तथा अनुसूचित बैंक में केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में सावधि जमा के रूप में निवेश की जाएगी।

(2) क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त यथाशीघ्र राशि के संबंध में ऐसी जानकारी सूचना बोर्ड पर कम से कम पंद्रह दिनों के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा, जिसे श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त सूचना के लिए पर्याप्त समझते हैं और साथ ही उस नोटिस को उस क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय भाषा के किन्हीं दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जहाँ अवितरित मजदूरी अर्जित की गई थी।

(3) क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त नामित व्यक्ति या उस व्यक्ति को राशि जारी करेगा जिसने ऐसी राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, जिसके पक्ष में श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त ने सुनवाई का अवसर देने के बाद भुगतान की जाने वाली राशि का निर्णय किया है।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

अध्याय–छः
प्रपत्र, पंजी एवं वेतन पर्ची

39. **विवरणियां**.– व्यावसायिक, सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी प्रतिष्ठान, जिस पर यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्र के संबंधित कॉलमों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल की जायेगी। ऐसे विवरणी की एक प्रति उस क्षेत्र के लिए नियुक्त निरीक्षक सह सेवा प्रदाता को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

40. **दावे दाखिल करने के लिए प्ररूप और प्रक्रिया**.– (1) धारा 45 की उप–धारा (5) के अंतर्गत आवेदन प्ररूप–दो में एकल आवेदन मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त प्ररूप में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दायर किया जा सकता है।

(2) जहाँ धारा 45 की उप–धारा (5) के अधीन कोई आवेदन ग्रहण किया जाता है, वहां प्राधिकारी नियोक्ता को प्ररूप–आठ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस तामील करेगा कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को सभी सुसंगत दस्तावेजों और साक्षियों, यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और आवेदक को इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख की सूचना देगा।

(3) यदि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर, उस पर एकपक्षीय निर्णय दे सकेगा।

(4) यदि आवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि अग्रिम रूप से कोई तर्कसंगत कारण दिये बिना निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है।

(5) धारा 45 की उप–धारा (5) के तहत् नियोजित व्यक्तियों के एक समूह के संबंध में उनकी ओर से एक एकल आवेदन प्ररूप–दो में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वे एक ही प्रतिष्ठान में कार्य करते हो और उनका दावा समान वेतन अवधि या अवधियों या एक ही भेद की घटना से संबंधित है।

(6) प्राधिकारी उप–नियम (1) के तहत् प्रस्तुत किए गए किसी भी अलग–अलग लंबित आवेदनों से उप–नियम (2) के तहत् प्रस्तुत एकल आवेदन के रूप में विचार कर सकता है।

41. **अपील दायर करने की प्रक्रिया**.– (1) धारा 45 की उप–धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन प्ररूप–तीन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा उक्त प्ररूप

में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ, अधिकारिता रखने वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा की गई कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील करते समय अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के पास उस निर्देश के तहत देय राशि जमा नहीं कर देता, जिसके खिलाफ अपील की गई है।

(2) यदि धारा 49 की उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी अपील पर विचार किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी के सामने उपस्थिति की पहली तारीख से पहले, आवेदक, जिसके विरूद्ध उक्त अपील लाया गया है, उन पक्षकार (या पक्षकारों) के लिए अपील की एक ऐसी प्रति प्रदान करेगा और पक्षकार (या पक्षकारों) को उपस्थिति के लिए तय की गई तारीख, समय और स्थल के बारे में प्ररूप–आठ में इलेक्ट्रॉनिक अथवा पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ सुनवाई करने के बाद आदेश द्वारा अपील पर निर्णय लेगा।

(4) यदि पक्षकार (या पक्षकारों), जिनके विरूद्ध अपील किया गया है, वह उपस्थिति की पहली तारीख को उपसंजात होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी उक्त पक्षकार (या पक्षकारों) के अपील की प्रति पंजीकृत डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामिल कराएगा।

(5) पक्षकार (या पक्षकारों), जिसके विरूद्ध अपील दायर किया गया है, उनकी उपस्थिति होने पर प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी जवाब दाखिल करने के लिए ऐसे पक्षकार (या पक्षकारों) को अवसर प्रदान कर सकता है।

(6) प्रतिपादन पूर्ण होने पर, प्राधिकारी साक्ष्यों की सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकता है, और उसके बाद प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी तर्क सुनने की कार्यवाही कर सकता है, और दायर अपील निर्णित कर सकता है।

(7) यदि अनावेदक या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर, एक पक्षीय निर्णय निर्धारित कर सकता है।

(8) यदि आवेदक या उसका प्रतिनिधि, निर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है।

42. (क) **पंजी इत्यादि का प्ररूप**.– (1) धारा 19 की उप–धारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने एवं उनकी वसूलियों का विवरण, नियोक्ता द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न

प्ररूप–चार के रूप में रखे जाने वाले पंजी में इलेक्ट्रॉनिक रीति सें अथवा अन्य रूप से रखा जाएगा तथा उक्त उप–धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी, उस क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी होंगे।

(2) धारा 21 की उप–धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियों एवं वसूलियों का विवरण नियोक्ता द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप–चार के रूप में रखे जाने वाले पंजी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा अन्य रूप में रखा जाएगा।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर यह संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप–धारा (1) के तहत् कर्मचारियों एवं श्रमिकों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप में निम्नलिखित प्ररूप में पंजी रखेगाः

(एक) प्ररूप–एक में कर्मचारी रजिस्टर।

(दो) प्ररूप–चार में क्षति और हानि के लिये वेतन, ओवरटाईम, अग्रिम, जुर्माना और कटौती का रजिस्टर, तथा

(तीन) प्ररूप–नौ में उपस्थिति रजिस्टर सह मस्टर रोल।

(4) प्रत्येक नियोक्ता, प्ररूप–सात में प्रत्येक कर्मचारी/श्रमिक से नामांकन प्ररूप भरवायेगा।

(ख) इन नियमों के अधीन बनाए रखे जाने वाले रजिस्टरों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखा जाएगा।

43. **वेतन पर्ची**.– प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले, धारा 50 की उप–धारा (3) के अंतर्गत प्ररूप–पाँच में अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रीति से वेतन पर्ची जारी करेगा।

अध्याय–सात
निरीक्षण और कार्यान्वयन

44. **अपराधों के प्रशमन का तरीका**.– (1) यदि कोई दोषी व्यक्ति धारा 56 की उप–धारा (1) के तहत अपराध का प्रशमन चाहता है, तो वह उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप–छः में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्य रूप से आवेदन कर सकता है।

(2) उप–नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि वह अपराध, संहिता के अंतर्गत शमन योग्य है या नहीं और यदि अपराध शमन योग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिये सहमत हो जाता है, तो संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास

प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर, ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश के 30 दिनों के भीतर दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(3) प्रशमन अधिकारी प्ररूप 6 के भाग–ख में प्रशमन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रशमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, कि प्रशमन नोटिस की अनुपालन में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।

(4) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति नोटिस प्राप्ति के पश्चात्, प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उन अपराधों के संबंध में अभियोजन आरम्भ किया जाएगा जिनके संबंध में शमन नोटिस जारी किया गया है।

(5) जहाँ अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् उप–नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां वह अधिकारी, अपने द्वारा जारी किये गये ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप–धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु धारा 53 की उप–धारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेजेगा।

45. **जाँच करने का रीति.**– जब धारा 53 की उप–धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अधिकारी के समक्ष उक्त उप–धारा में संदर्भित अपराध के संबंध में कोई भी शिकायत राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीडित कर्मचारी अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा किसी निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, तो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अधिकारी, केन्द्र सरकार द्वारा विहित तरीके से प्रकरण का सुनवाई कर निराकरण करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विपुल कुमार गुप्ता, उप–सचिव.

प्ररूप–एक
(नियम 42 (क) (3) देखिये)
कर्मचारी पंजी

कर्मचारी पंजी		
स्थापना का नाम		
नियोक्ता का नाम		
स्वामी का नाम		
नियोजक का पेन/टेन का विवरण		
स्थापना का पंजीयन नंबर (श्रमिक पहचान संख्या (लिन) स्थापना का पंजीयन नंबर होगा)		
1.	कर्मचारी कोड	
2.	नाम	
3.	उपनाम	
4.	वर्ग (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति)	
5.	लिंग	
6.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
7.	जन्मतिथि	
8.	जन्म स्थान	
9.	राष्ट्रीयता	
10.	शैक्षणिक स्तर	
11.	पदभार ग्रहण करने की तारीख	
12.	पदनाम	
13.	कौशल का वर्ग (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्ध कुशल/अकुशल)	
14.	नियोजन का प्रकार (स्थायी/अस्थायी/नियत कालिक/प्रशिक्षु/बदली श्रमिक)	
15.	पद स्थापना का विवरण	
16.	वेतन	
17.	पदोन्नति	
18.	मोबाईल नंबर	
19.	यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यू.ए.एन)	

20.	पेन नंबर	
21.	नामित का नाम (नामित प्रपत्र में भरे गये अनुसार)	
22.	परिवार का विवरण	
23.	ई.पी.एस. / एन.पी.एस.	
24.	ई.एस.आई.सी.–बीमित व्यक्ति नंबर	
25.	आधार नंबर	
26.	बैंक खाता नंबर	
27.	बैंक का नाम	
28.	बैंक शाखा का नाम (आई.एफ.एस.सी. विवरण)	
29.	वर्तमान पता	
30.	स्थायी पता	
31.	सेवा पुस्तिका नंबर	
32.	सेवा से पृथक होने की तिथि	
33.	सेवा से पृथक होने का कारण	
34.	पहचान चिन्ह	
35.	फोटो	
36.	हस्ताक्षर नमूना / अंगूठे का निशान	
37.	टिप्पणियाँ	

* (अत्यधिक कुशल / कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल)

** (स्थायी / अस्थायी / निर्धारित अवधि / प्रशिक्षु / बदली)

प्ररूप–दो

(नियम 40 (1) (5) देखियें)

(धारा 45 की उप–धारा (5) के अधीन एकीकृत आवेदन)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप–धारा (1) के अधीन
नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

..... के लिए क्षेत्र

आवेदन संख्या20 का

आवेदक का नाम अन्य (आवेदकगणों की संख्या).....

(संबंधित कर्मचारियों अथवा पंजीकृत व्यवसायिक संघ अथवा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के माध्यम से)

पता.....

और

अनावेदक/अनावेदक गणों का नामपता.....

.....के बीच इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक/आवेदकों जिनका/जिनके नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए है, वर्षसे तक प्रवर्ग/श्रेणी के कार्य में संस्थान में नियोजित था/थी/थे, श्री/मेसर्स के (प्रतिष्ठान) मेंकार्य की प्रकृति में नियुक्त किया गया था, जो मजदूरी संहिता, 2019 की परिधि में आते है।

(2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 की उप–धारा (1) के प्रयोजन के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं

(3) (क) आवेदक/आवेदकों को से तक की अवधि के लिए रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी/कर्मचारियों की उनकी श्रेणी/श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक/आवेदकों को से तक की अवधि के लिए रूपये प्रति दिन के हिसाब से साप्ताहिक अवकाश हेतु इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी/कर्मचारियों को उनकी श्रेणी/श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ग) आवेदक/आवेदकों को से तक की अवधि के लिए अधिसमय दर/दरों पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक/आवेदकों को से..... तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ड.) आवेदक/आवेदकों के वेतन/वेतनों से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका विवरण इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक/आवेदकों को लेखा वर्ष..... के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक/आवेदकों से प्रत्येक राशि पर स्वयं मांगी गई राहत राशि का मूल्य निम्नानुसार आंकलित करता/करते है/हैं–

(क) ₹

(ख) ₹

(ग) ₹

कुल ₹

(5) आवेदक अनुरोध करता/करते है कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 की उप–धारा (2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान।

(ग) अधिसमय दरों पर वेतन का भुगतान

(घ) रूपये का मुआवजा

(6) आवेदक/आवेदकगण एतदद्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

दिनांक.....

नियुक्त किए गए व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन
द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा
निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान।

टीप: आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्ररूप–तीन
(नियम 41 (1) देखिये)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष, वेतन संहिता की धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन अपील

अपीलार्थी / अपीलार्थियों के नाम.....पता.....

विरूद्ध

उत्तरार्थी / उत्तरार्थियों के नाम.....पता.....

अपील का ब्यौरा

1. उस आदेश का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गई है:
 आदेश क्रमांक और दिनांक :

 प्राधिकारी जिसके द्वारा आदेश पारित किया है:
 आदेशित राशि:

 मुआवजा हेतु पारित आदेश, यदि कोई हो तो:
2. प्रकरण के तथ्य:

 (इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)
3. अपील के आधार:
4. यह प्रकरण पूर्व में किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास दर्ज अथवा लंबित ना हो:
 अपीलार्थी आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद इनमें से किसी के पास लंबित है।
5. मांगी गई राहत:
 ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है:–
 (नीचे मांगी गई राहत / राहतों का उल्लेख करें)
6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:
 1.
 2.
 3.
 4.

.....

तारीख:

स्थान: अपीलार्थी का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

.....

दायर करने की तारीख
अथवा
डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख
पंजीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप–चार
(नियम 18 एवं 42 (क) (2) देखिये)
मजदूरी, अधिसमय, अग्रिम, जुर्माना, क्षति एवं घाटे हेतु कटौती पंजी

प्रतिष्ठान का नाम:	
नियोजक का नाम:	
स्वामी का नाम:	
नियोक्ता का पैन/टैन:	
स्थापना का पंजीयन नंबर (श्रमिक पहचान संख्या (लिन) स्थापना का पंजीयन नंबर होगा)	

स.क्र.	कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या/ कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि (मासिक/पाक्षिक /साप्ताहिक/ दैनिक/ईकाई दर)	मजदूरी की अवधि से–तक	मजदूरी की अवधि तक कुल कार्य दिवस	कुल अधिसमय कार्य के घंटे अथवा ईकाई दर स्थिति में कुल अधिक उत्पादित ईकाई	मजदूरी की दर		
									मूल वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

अर्जित मजदूरी राशि					कटौती							कुल भुगतान राशि
मूल वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते	अधिसमय	कुल अर्जित मजदूरी राशि	ई.पी. एफ.	ई.एस. आई.सी.	सोसायटी	आयकर	बीमा	अन्य	योग	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

जुर्माना की प्रकृति, दिनांक, जिस अधिनियम अथवा उल्लघंन हेतु लगाया गया है	लगाया गया जुर्माना राशि	कर्मचारी की अनदेखी अथवा गलती के कारण नियोक्ता को हुए क्षति अथवा घाटे का विवरण	जुर्माना की वसूली	क्षति / घाटा वसूली	कुल कटौती	कुल वास्तविक भुगतान	भुगतान की तिथि	कर्मचारी की पावती / बैंक से लेन देन आई. डी.	नियोजक अथवा नियोजक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर*
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)

टीप :– पंजी के भौतिक संधारण की स्थिति में आवश्यक।

प्ररूप–पाँच
(नियम 43 देखिये)
वेतन पर्ची

जारी करने की तारीखः.....

प्रतिष्ठान का नाम पता..... अवधि.....

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम :

3. पदनामः

4. यू.ए.एनः

5. बैंक खाता संख्याः

6. मजदूरी अवधिः

7. देय वेतन के दर : क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग) अन्य भत्ते

8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की इकाईः

9. अधिसमय मजदूरीः

10. देय सकल मजदूरीः

11. कुल कटौतीः क.) भविष्य निधि ख.) ई.एस.आई ग) अन्य

12. भुगतान किया गया कुल वेतनः

नियोजक/पे–इंचार्ज के हस्ताक्षर

प्ररूप–छः

(नियम 44 (1) देखिये)

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप–धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नामः

2. पिता / माता / पति या पत्नी का नाम :

3. आवेदक का पताः

4. अपराध का विवरणः

.....

.....

.....

5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया हैः

.....

6. संहिता के अधीन अपराध के लिए प्रावधानित अधिकतम जुर्मानाः

.....

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहींः

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो पूर्व के अपराध का पूर्ण विवरण देः

.....

.....

.....

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता होः

.....

.....

.....

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख :

भाग–ख
(नियम 44 (3) देखिये)
शमन प्रमाणपत्र

संदर्भ : सूचना संख्या तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 54 की उपधारा के अधीन वह अपराध जिसके संबंध में श्री (आवेदक), (संस्थान का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या) के नियोक्ता को तारीख को नोटिस संख्या जारी की गई थी, उक्त नोटिस के संतोषजनक अनुपालन में अपराधों के निपटारे के लिए रु. (रूपए)) की पूरी रकम जमा करने के कारण शमित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)
अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख :
स्थान :
प्रति :
..... (नियोक्ता / स्थापना)
..... (नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या)
..... (पता)

प्ररूप–सात
(नियम 42 (क) (4) देखिये)
नामांकन का प्ररूप

1. नामांकनकर्ता व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) :

2. पिता/माता/पति या पत्नी का नामः

3. जन्मतिथि :

4. लिंग :

5. वैवाहिक स्थिति :

6. पता :
स्थाई :
अस्थाई :

मैं एतद्द्वारा नामांकन/पूर्व में मेरे द्वारा किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों के नामांकन को निरस्त कर निम्नानुसार उल्लिखित व्यक्तियों को नियोजक से मेरी मृत्यु के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित करता हूं :–

नामित/नामितों के नाम	पता	कर्मचारी से नामित का रिश्ता	जन्मतिथि	कुल संग्रह राशि में से प्रत्येक नामित को प्राप्त होने वाली राशि का भाग	यदि अवयस्क है तो नामित पालक का नाम, रिश्ता एवं पता जो अवयस्कता अवधि तक नामित का भाग प्राप्त करेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1) सत्यापित करता हूं कि मेरा कोई परिवार नहीं है यदि मेरा परिवार बनता है तो उपरोक्त नामांकन निरस्त मान्य किया जाये।

(2) सत्यापित करता हूं कि मेरे पिता/माता मुझ पर निर्भर है।

(3) जो लागू न हो उसे हटा देवे।

कर्मचारी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

नियोजक का प्रमाण पत्र

सत्यापित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 जो मेरे संस्थान में कार्यरत है के नामांकन हेतु उपरोक्त घोषणा जिसे उसके द्वारा स्वयं पढ़ा गया अथवा मेरे द्वारा पढ़कर उन्हें सुनाया गया, जैसी भी स्थिति हो, इंद्राज की पुष्टि के पश्चात् उनके द्वारा मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया गया।

नियोजक के हस्ताक्षर अथवा स्थापना द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

स्थान :
तारीख :

कारखाना/स्थापना का नाम एवं पता तथा रबर स्टॉम्प सील

कर्मचारी द्वारा पावती

मुझे मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्ररूप–7 में नामांकन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

तारीख

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–आठ
(नियम 40 (2) एवं 41 (2) देखिये)

(अ) धारा 45 की उप–धारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को जारी किये जाने वाले सूचना पत्र प्ररूप (आवेदन का शीर्षक)

प्रति,

नाम

पता

यतः, (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उक्त आवेदन किया गया है, आपको इस सूचना द्वारा व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को मेरे सामने पेश होने के लिए तलब किया जाता है एवं आवेदन से संबंधित सभी तथ्यों, प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है या हो सकता है आपके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, के लिए निर्धारित दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह् बजे आवेदन में दावे का जवाब देने के लिए और आवेदन के अंतिम निराकरण के लिए नियत किया जाता है, निर्धारित तिथि को आप अपने बचाव के समर्थन के उद्देश्य से अपने गवाहों एवं साक्ष्य और दस्तावेज जिस पर आपको विश्वास हो, के साथ उपस्थित रहे।

उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर आपकी उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में आपकी अनुपस्थिति में ही आवेदन की सुनवाई कर प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा।

दिनांकः– प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

(ब) धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को जारी किये जाने वाले सूचना पत्र का प्ररूप
(अपील का शीर्षक)

प्रति,

नाम

पता

अवगत हो कि वेतन संहिता की धारा 49 के अधीन इस अपील प्राधिकारी के समक्ष (अपीलकर्ता का नाम) द्वारा एक अपील (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक काबजे तिथि सुनवाई हेतु नियत की जाती है।

उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर आपकी उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में आपकी अनुपस्थिति में ही आवेदन की सुनवाई कर प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा।

दिनांक

अपीलीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

प्ररूप–नौ
(नियम 42 (क) (3) देखिये)
उपस्थिति पंजी सह मस्टर रोल

स्थापना का नाम					
नियोजक का नाम					
स्वामी का नाम					
स्थापना का पंजीयन नंबर (श्रमिक पहचान संख्या (लिन) स्थापना का पंजीयन नंबर होगा)					
माह के लिये					
स. क्र.	कर्मचारी कोड	नाम	पद	पाली	कार्यस्थल/सेक्शन/विभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उपस्थिति का दिनांक एवं समय
(7)

दिनांक	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.
समय																						
हस्ताक्षर																						

दिनांक	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
समय	प्र	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.
हस्ताक्षर																						

दिनांक	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
समय	प्र	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.	प्र.	नि.
हस्ताक्षर																		

कुल कार्य दिवस की संख्या	कुल अधिसमय कार्य घंटे की संख्या	कार्यस्थल से बाहर दौरे का विवरण यदि कोई हो तो या सौंपे गये कार्य	मास्टर रोल पंजी संधारक के हस्ताक्षर *
(8)	(9)	(10)	(11)

टीप :– प्र. – प्रवेश, नि.– निकास, * उपस्थिति सह मस्टर रोल के भौतिक संधारण की स्थिति में आवश्यक।

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th October 2026

NOTIFICATION

RULE-5/15/2026-LABOUR- Whereas the draft of the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026 were published as required under sub-section (1) of Section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019) in Chhattisgarh Gazette Extraordinary No. 183 dated 13th April 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the notification was made available to the public on the 13th April 2026,

And whereas, suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in supersession of –

1. The Minimum Wages (Chhattisgarh) Rules, 1958; and
2. The Chhattisgarh Payment of Wages Rules, 1962

except in respects of things done or omitted to be done before such supersession, and in exercise of the powers conferred by Section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026.

(2) They shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Authority"** means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 45;

(b) **"Appellate Authority"** means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 49;

(c) **"Appeal"** means an appeal preferred under sub-section (1) of Section 49;

(d) **"Board"** means the Chhattisgarh State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of Section 42;

(e) **"Chairperson"** means the chairperson of the Board;

(f) **"Code"** means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(g) **"Committee"** means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of Section 8;

(h) **"Day"** means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(i) **"Electronically"** means any information submitted by email or maintained or displayed on the designated portal or mobile application or website or digital payment in any mode for the purposes of the Code;

(j) **"Family"** includes all or any of the following relatives of an employee/worker, namely:—

(1) a spouse;

(2) a minor child (including adopted child) dependent upon the employee ;

(3) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee/worker, and who might be—

(i) receiving education, till he or she attains the age of twenty-one years; and

(ii) unmarried daughter;

(4) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(5) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law):

Provided that in case of any other person being dependent for livelihood on the employee/worker, evidence may be led in order to prove the dependency:

(k) **"Form"** means a form appended to these rules;

(l) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(m) **"Geographical Area"** means, the areas notified as such by the State Government from time to time

(n) **"Highly Skilled Occupation"** means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(o) **"Inspector-cum-Facilitator"** means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of Section 51;

(p) **"Member"** means a member of the Board and includes its Chairperson;

(q) **"Normal rate of wage"** means wage as defined under clause (y) of section 2 under the code;

(r) **"Population"** means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(s) **"Registered trade union"** means a trade union registered under The Industrial Relation Code, 2020 (No. 35 of 2020);

(t) **"Schedule"** means the schedule appended to these rules;

(u) **"Section"** means a Section of the Code;

(v) **"Semi-Skilled Occupation"** means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(w) **"Skilled Occupation"** means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;

(x) **"Unskilled Occupation"** means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code on Wages 2019 (No. 29 of 2019).

CHAPTER–II
MINIMUM WAGES

3. **Manner of calculating minimum rate of wages**.– (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on per day basis subject to the criteria which shall be separately specified by the State Government by special or general order:

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by Twenty Six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

In case there is less than six days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for a day.

(3) The retail prices at the nearest market in the said geographical area shall be taken into account in computing the cash value of wages paid in kind. This computation shall be made in accordance with such directions as may be issued by the State Government and the State Advisory Board, from time to time.

4. **Time interval for revision of Variable Dearness Allowance**.- The revision of the variable dearness allowance shall be made twice a year, i.e., the 1st of April and the 1st of October, on the basis of the average Consumer Price Index issued by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

5. **Hours of work for normal working day.-** (1) The number of hours of work which shall constitute normal working day for an employee whose wage period is on a daily basis shall be eight hours and interval for rest shall be in accordance with notification issued in this regard under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020).

(2) The number of hours of work which shall constitute a normal working day for an employee whose wage period is other than on a daily basis shall be so fixed that the total number of weekly working hours shall not exceed forty-eight hours.

6. **Weekly day of rest.-** (1) Subject to the provisions of this rule, an employee or worker shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, In case of six day week, the rest day shall ordinarily be Sunday and in case of less than six day week, it shall include Saturday and Sunday, However the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or worker, or class of employees or workers:

Provided that in a six day working week or less than six day working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees or workers:

Provided further that an employee or worker shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be:

Provided also that the employee or worker shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect a conspicuous place in the place of employment.

Explanation- For the purpose of computation of the continuous period of six days or the stipulated number of days worked in a week specified in the second proviso to this sub-rule, the following shall be deemed to be days on which the employee has worked:-

(a) any day on which an employee or worker is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,

(b) any day on which an employee or worker is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 (No. 35 of 2020), and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee or worker in the period of six days or during the

stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days,

(2) Any employee or worker shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee or worker working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee or worker works on a rest day and has been given a substituted rest day on any day before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee or worker shall be granted for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that in case of 6 days week, where -

(i) the minimum rate of wages of the employee or worker, as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Chhattisgarh or any other officer appointed by the State Government may, on application

made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee or worker governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day.

Explanation- In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee or worker has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee or worker may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee or worker shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

7. Night shifts.- Where an employee or worker in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,-

(a) A rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee or worker was engaged in work shall be counted towards the previous day;

8. Extent and conditions of working hours for certain categories of employees.- In case of employees or workers under sub-section (2) of Section 13:-

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

The number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general of special order, issued from time to time, under Rule 6.

9. **Longer wage period.**- The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under Section 14 shall be by the month.

CHAPTER-III
PAYMENT OF WAGES

10. **Payment of wages to contractual employee.**- Where an employee is employed in an establishment through a contractor, the company or firm or association or any other person who owns that establishment shall pay the contractor the amount due to him before the date of payment of wages so that the employees are paid their wages in accordance with the provisions of Section 17.

Explanation- For the purpose of this rule, the expression "Firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932).

11. **Payment of wages for less than normal working day.**- An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under Section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

12. **Recovery of deductions.–** As per sub-section (4) of Section 18, Where the total deductions authorized under sub-section (2) of Section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

13. **Authority Competent to approve the imposition of penalty for acts and omissions.**- The Labour Officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of Section 19.

14. **Manner of exhibiting notice specifying acts and omissions.–** A notice referred to in sub-section (2) of Section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi, English and local language at the

conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent electronically or by registered post to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

15. Procedure for imposing fine.- (1) In accordance with sub-section (3) of Section 19, the employer shall, for obtaining approval to impose fine, give information of detailed particulars in electronic form or in writing to the Assistant Labour Commissioner/Labour Officer mentioned in rule 13, specifying therein the details of acts and omissions committed by the employee, which justify the imposition of fine and an opportunity within 15 days shall be given to show cause.

(2) Fine shall be imposed upon the delinquent employee for the established charges.

(3) Where no reply is received from the employee within the scheduled period, fine shall be imposed and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the imposition of such fine.

16. Intimation of deduction for absence from duty.- (1) When an employer intends to make any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of Section 20, he shall intimate electronically or in writing to the employee concerned regarding their intention of making such deduction seeking their reply within a period of seven days and upon establishment of charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub- section (3) of Section 18.

(2) If reply is not received from the concerned employee within seven days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

17. Procedure for deduction for damage or loss.– Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of Section 21 from the wages of an employee shall,-

(i) explain to the employee in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) give the employee an opportunity to submit any explanation and thereafter, deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction

18. **Conditions regarding recovery of advance:–** The recovery of,–

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of Section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of Section 23, as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in instalments determined by the employer, so as any or all instalments in a wage period, shall not exceed fifty percent of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 12 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

19. **Deduction for recovery of loans:–** Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the State Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER-IV
STATE ADVISORY BOARD

20. **Constitution of the Board.-** The Board shall be constituted by the State Government under sub section (4) of Section 42 consisting of persons to be nominated by the State Government.

21. **Meeting of the Board.-** The Chairperson may, subject to the provision of rule 23, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Unless explicitly provided to the contrary in the Code, upon receipt of requisition for meeting by not less than one-half of the members, the Chairperson shall be bound to call for meeting within 30 days of receipt of such request.

22. **Notice of meetings.-** The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. **Functions of Chairperson.-** The Chairperson shall-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

(iv) such other functions as may be assigned by the State Government from time to time.

24. Quorum for meeting.- Unless explicitly provided to the contrary in the Code - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place with Agenda of such adjourned meeting shall be intimated to all the members of board electronically or by a Registered post.

25. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

26. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

28. proceeding of the meeting.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

29. Term of office of members of the board.- Unless provided to the contrary in the Code and Rules framed there under-

(1) The term of office of the chairperson or a member as the case may be shall be normally three years commencing from the date of appointment or nomination as the case may be under sub-section (4) of Section 42.

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) The State Government shall have the power to fill a casual vacancy that may arise, and the member so nominated shall hold the office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated or until the regular officer assumes office, whichever comes first.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

30. Travelling allowance. - The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Class one officer of the State Government.

31. Officers and Staff.- The State Government may provide a Secretary not below the rank of Deputy Labour Commissioner from the Labour

Department to the Chhattisgarh Government, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

32. **Eligibility for re-nomination of the members of the Board.-** An outgoing member shall be eligible for renomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

33. **Resignation of the Chairperson and other members of the Board.-** (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government

(2) The resignation will be effective upon the expiration of 30 days from the date of notification of acceptance of the resignation or the date of sending the notice, whichever is earlier.

(3) Whenever a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairman shall immediately submit a report to the State Government, and the State Government shall take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

34. **Cessation of membership**.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

35. **Disqualification.-** (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board–

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an undischarged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-V
PAYMENT OF DUES, CLAIMS etc.

36. **Payment of undisbursed dues to nominees in case of death of employee .–** (1) (a) In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 44, **e**very employee shall make a declaration in Form-VII in physical form or electronically, nominating a person to confer the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid:

Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to the credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Assistant Labour Commissioner/ Labour officer having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

37. Deposit of undisbursed dues in case of death of employee.– (1) Where any amount payable to an employee under clause (b) of sub-section (1) of Section 44 remains undisbursed since no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Labour Officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Assistant Labour Commissioner/Labour Officer having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand

draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favor of that Assistant Labour Commissioner/Labour Officer.

38. Manner of disposal of deposited undisbursed dues.– (1) The amount referred to in sub-rule (1) of rule 37 (hereinafter in this Rule referred to as the amount) deposited with the Labour officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities as a fixed deposite in a scheduled bank.

(2) The Labour officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Labour officer or Assistant Labour Commissioner considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) The Labour officer or Assistant Labour Commissioner having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Labour officer or Assistant Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbured amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from administrative order time to time in this behalf.

CHAPTER-VI
FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

39. Returns.- The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Inspector-cum-Facilitator appointed in the said area.

40. Form and procedure for filing claims.– ((1) An application, may be filed under sub-section (5) of Section 45 in Form-II manually or electronically along with documents specified in the said Form.

(2) Where an application under sub-section (5) of Section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form-VIII to appear

before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application

(5) A single application under sub-section (5) of Section 45 may be presented on behalf or in respect of a group of employed persons, if they are borne on the same establishment and their claim relates to the same wage period or periods, or same incident of discrimination, in the manner as specified in Form-II.

(6) The Authority may deal with any number of separate pending applications presented under sub-rule (1), as a single application presented under sub-rule (2).

41. Procedure for filing appeal.– (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of Section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of Section 49 in Form-III electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the amount payable under the direction appealed against with the appellate authority.

(2) If an appeal is considered under sub-section (1) of Section 49, the applicant against whom the said appeal has been brought shall, before the first date of appearance before the appellate authority, provide a copy of the application/appeal to the party (or parties) concerned and shall inform the party (or parties) about the date, time and place fixed for appearance in Form-VIII, either electronically or by registered post.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by order, decide the appeal.

(4) If the party(or parties) against whom the appeal is brought about, fails to appear on the first date of appearance, the authority or appellate authority shall serve upon the said party (or parties) copy of the application/appeal, via registered post and electronically as well.

(5) Upon appearance of the party (or parties) against whom the appeal is brought about, the Authority or Appellate Authority, may grant an opportunity to such party (or parties) to file its reply.

(6) Upon completion of pleadings, the Authority may fix date for hearing evidence, and thereafter the Authority/Appellate Authority may proceed to hear arguments, and decide the appeal so filed.

(7) If the non-applicant or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(8) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the application.

42. (a) Form of register, etc.- (1) All fines and all realization thereof referred to in sub-section (8) of Section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form-IV appended to these rules, electronically or otherwise and the authority referred to in said sub-section (8) shall be the Assistant Labour Commissioner or Labour Officer having jurisdiction.

(2) All deductions and all realization referred to in sub-section (3) of Section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form-IV appended to these rules, electronically or otherwise.

(3) Every employer of any establishment to which this Code applies shall maintain a register of employees and workers in electronic or any other form, in the following format, as required under sub-section (1) of Section 50:

(i) Employee Register in Form-I,

(ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form-IV, and

(iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form-IX.

(4) Every employer will get filled nomination Form-VII from each employee/worker.

(b) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

43. Wage Slip.- Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees and workers in Form-V under sub-section (3) of Section 50 on or before payment of wages.

CHAPTER-VII
INSPECTION AND IMPLEMENTATION

44. Manner of composition of offences.– (1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of Section 56 may

make an application in Form-VI electronically or other wise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) The compounding officer shall issue a composition certificate in Part-B of Form-VI within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in compliance of the composition notice.

(4) Where an accused person fails to deposit the composition amount, after receiving the notice, within the time specified by the compounding officer, prosecution shall be instituted before the competent court against such person for such offence in respect of which the compounding notice was issued.

(5) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of Section 53 for needful action under sub-section (6) of Section 56.

45. Manner of holding enquiry.- When a complaint relating to the offence referred to in sub-section (1) of Section 53 is filed before the officer notified by the State Government under the said sub-section, by an officer authorized by the State Government, or by the aggrieved employee, or by a trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020, or by an Inspector-cum-Facilitator, the officer notified by the State Government shall hear and dispose of the case in the manner prescribed by the Central Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.

FORM-I

(See rule 42 (a) (3))

EMPLOYEE REGISTER

EMPLOYEE REGISTER		
Name of the Establishment		
Name of the Employer		
Name of the Owner		
PAN/TAN of the Employer		
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)		
1.	Employee Code	
2.	Name	
3.	Surname	
4.	Category (Gen/OBC/SC/ST)	
5.	Gender	
6.	Father's/Mother's/Spouse Name	
7.	Date of Birth	
8.	Place of Birth	
9.	Nationality	
10.	Education Level	
11.	Date of Joining	
12.	Designation	
13.	Skill Category (HS/S/SS/US)*	
14.	Type of Employment (P/T/FT/T/B)**	
15.	Details of Posting	

16.	Pay	
17.	Promotion	
18.	Mobile Number	
19.	Universal Account Number (UAN)	
20.	PAN	
21.	Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
22.	Details of Family	
23.	EPS/NPS	
24.	ESIC IP No.	
25.	AADHAAR	
26.	Bank A/c Number	
27.	Bank Name	
28.	Branch Name with IFSC Detail	
29.	Present Address	
30.	Permanent Address	
31.	Service Book No.	
32.	Date of Exit from Service	
33.	Reason for Exit from Service	
34.	Mark of Identification	
35.	Photo	
36.	Specimen Signature/Thumb Impression	
37	Remarks	

-* **(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)**

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

FORM-II

(See rule 40 (1) (5))

[Single Application Under sub-section (5) of Section 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (No. 29 OF 2019)

FOR……. AREA……

Application No..... of 20……

Between ABC and (State the number)……other.....

Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum-Facilitator

Address……

And

XYZ……

Address……

The application states as follows

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/ has/have been employed from ……to…….....as …….. (category) in…….(establishment) Shri/M/s…… engaged in …… (nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of sub-section (l) of Section 2 of the Code on Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by ₹ …. ……..Per day for the period(s) from……to…… ……

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at ₹ …….. Per day for the weekly days of rest from to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from……..to….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ……to…….

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:

(a) ₹ …….

(b) ₹ …….

(c) ₹ …….

Total ₹ …….

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under sub-section (2) of Section 45 of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to ₹ ……

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated…….

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note- The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM-III

(See rule 41 (1))

Appeal under sub-section (1) of Section 49 of the Code on Wages, 2019 before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address----------APPELLANT----------

Vs.

C.D.E.

Address---------- RESPONDENT----------

DETAILS OF APPEAL

1. Particulars of the order against which the appeal is made: Number and date:

 The authority who has passed the impugned order:

 Amount awarded:

 Compensation awarded, if any:

2. Facts of the case:

 (Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal:

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

 The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought:

 In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.

Date :

Place : Signature of the appellant.

For office use

Date of filing

or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM-IV

(See rule - 18 and 42 (a) (2))

Register of Wages, Overtime, Advances, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment	
Name of the Employer	
Name of the Owner	
PAN/TAN of the Employer	
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)	

Sl. No.	Sr. No. in Employee Register/ Employee Code	Name of the employee	Designation	Department	Duration of Payment of wages (Monthly/ Fortnightly/Weekly/ Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the wage period	Total overtime hours worked or overtime production in case of piece workers	Rate of wages		
									Basic	DA	Allowances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Amount of wages earned	Deductions	Total Payment Amount

Basic	DA	Allowances	Over time	Total wages earned	EPF	ESIC	Society	Income Tax	Insurance	Others	Total	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Recovery of Fine	Recovery on account of Damages/ Losses	Total Deductions	Total Actual Payment	Date of Payment	Receipt by employee/Bank transaction ID	Signature of Employer/Employer Representative*
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)

*Note- Required in case register is maintained physically.

FORM-V

(See rule 43)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment…….

Address…..…….….. Period……..

1. Name of employee :
2. Father's /Mother's/Spouse name :
3. Designation :
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of wages payable:

 (a) Basic (b) D.A. (c) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable :
11. Total deductions : (a) PF (b) ESI (c) Others
12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature

FORM-VI

(See rule 44 (1))

Application under sub-section (4) of Section 56 for Composition of Offence

1. Name of applicant : ……

2. Father's /Mother's/Spouse name :
……..

3. Address of the applicant : ……..

4. Particulars of the offence: ……...

……

…… ……..

5. Section of the Code under which the offence is committed :
.....……

6. Maximum fine provided for the offence under the Code :
…….....……..

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not :
…….....

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence :
……
…….....

…… …….....

…… …….....

9. Any other information which the applicant desires to provide :

…… …….....

…… …….....

…… …….....

…… …….....

Dated:

Applicant

(Name and signature)

PART–B

(See rule 44 (3))

COMPOSITION CERTIFICATE

Ref: Notice No…….. Date:

This is to certify that the offence under sub-section …… of Section 54 in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Shri/Smt……. (Applicant), the employer of ……. (name and registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs …….. (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)

Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

……..(Employer/Establishment)

…….(Name and registration number)

…….(Address)

FORM-VII

(See rule 42 (a) (4))

NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination: ……

 (In block letters): ……..

2. Father's/Mother's/Spouse's Name: ……

3. Date of Birth: ……..

4. Sex: ……..

5. Marital Status: ……

6. Address: ……

 Permanent: ……..

 Temporary: ……..

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/ nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship, and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1) Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

(2) Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

(3) Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Kuemployed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

ACKNOWLEDGEMENT BY THE EMPLOYEE

Received the duplicate copy of nomination in Form-VII filed by me and duly certified by the employer. Date:

Signature of the Employee

FORM-VIII

(See rule 40 (2) and 41 (2))

(A) Form of Notice to the Respondent to be issued by the Authority under sub-section (5) of Section 45.

(Title of the application)

To,

Name …….

Address ……

Whereas (name of the applicant) has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question the…….Day of…….20….at……AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date…….

Signature of the authority

with seal

(B) Form of Notice to the Respondent to be issued by the Appellate Authority under sub-section (1) of Section 49.

(Title of the appeal)

To,

Name

Address

Take notice that an appeal(copy of which is enclosed)under Section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by_____(name of appellant) before this appellate authority, and that the _____ day of _____20____ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date..... Signature of the Appellate authority with seal

FORM-IX

(See rule 42 (a) (3))

ATTENDANCE REGISTER CUM MUSTER ROLL					
Name of the Establishment					
Name of the Employer					
Name of the Owner					
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)					
For the Month of					
Sl. No.	Employee Code	Name	Designation	Shift	Place of work/Section/Department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Date and Time of attendance
(7)

Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																				

Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																				

Total number of days worked	Total number of overtime hours worked	Brief details of tour or assignment outside the work place, if any	Signature of Register keeper*
(8)	(9)	(10)	(11)

*Note- Required in case register is maintained physically.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.